बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

संख्या–01/स्था०राज०–320/2024– **/पटना, दिनांक अप्रैल, 2025**

प्रेषक,

बी०कार्तिकेय धनजी, भा०प्र०से०
सरकार के सचिव,
गन्ना उधोग विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

द्वारा– **वित्त विभाग।**

विषय :– गन्ना उधोग विभाग के अंतर्गत पूर्व से सृजित सम्पर्क पदाधिकारी (वेतन स्तर–6), सहायक अनुसंधान पदाधिकारी (वेतन स्तर–6), पौधा संरक्षक निरीक्षक (वेतन स्तर–6), एवं तकनीकी सहायक (वेतन स्तर–6), के 19 पदों को ईख पर्यवेक्षक (वेतन स्तर–6), के रूप में सम्परिवर्तित करने की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक गन्ना उद्योग विभाग अंतर्गत पूर्व से सृजित सम्पर्क पदाधिकारी (वेतन स्तर–6), सहायक अनुसंधान पदाधिकारी (वेतन स्तर–6), पौधा संरक्षक निरीक्षक (वेतन स्तर–6), एवं तकनीकी सहायक (वेतन स्तर–6), के 19 पदों को ईख पर्यवेक्षक (वेतन स्तर–6), के रूप में सम्परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव विभागीय पठित ज्ञाप संख्या–151 दिनांक–20.01.2025 के द्वारा प्रशासी पदवर्ग समिति, वित्त विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति हेतु भेजा गया था। प्रशासी पदवर्ग समिति, वित्त विभाग, बिहार, पटना के द्वारा दिनांक–28.03.2025 को आयोजित बैठक की कार्यवाही पठित ज्ञाप संख्या–42630 दिनांक–07.04.2025 के कंडिका–13 में उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. तदोपरांत विभागीय ज्ञापांक–447 दिनांक–22.04.2025 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया, जिसपर राज्य मंत्रिपरिषद के द्वारा दिनांक–25.04.2025 को आयोजित बैठक की कार्यवाही के मद संख्या–21 में उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत गन्ना उधोग विभाग के अंतर्गत पूर्व से सृजित सम्पर्क पदाधिकारी (वेतन स्तर–6), सहायक अनुसंधान पदाधिकारी (वेतन स्तर–6), पौधा संरक्षक निरीक्षक (वेतन स्तर–6), एवं तकनीकी सहायक (वेतन स्तर–6), के 19 पदों को ईख पर्यवेक्षक (वेतन स्तर–6), के रूप में सम्परिवर्तित किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं:–

क्र०	सम्परिवर्तित हेतु प्रस्तावित पद एवं पदस्थापन कार्यालय	पूर्व से स्वीकृत पदों की संख्या	प्रस्तावित सम्परिवर्तित पद एवं पदस्थापन कार्यालय	कुल प्रस्तावित पद
1	सम्पर्क पदाधिकारी (वेतन स्तर–6) कार्यालय–-उप निदेशक, ईख विकास, पटना।	01	ईख पर्यवेक्षक (वेतन स्तर–06) कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर।	01

2	सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, (वेतन स्तर–6) कार्यालय– उप निदेशक, ईख विकास, पटना।	02	ईख पर्यवेक्षक (वेतन स्तर–06), सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा।	02
3	पौधा संरक्षक निरीक्षक (वेतन स्तर–06), कार्यालय– उप निदेशक, ईख विकास, पटना।	04	(1) ईख पर्यवेक्षक (वेतन स्तर–06), सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया।	02
			(2) ईख पर्यवेक्षक (वेतन स्तर–06), सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज।	02
4	पौधा संरक्षक निरीक्षक (वेतन स्तर–06), कार्यालय– उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी।	04	(1) ईख पर्यवेक्षक (वेतन स्तर–06), सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई।	01
			(2) ईख पर्यवेक्षक (वेतन स्तर–06), सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा।	01
			(3) ईख पर्यवेक्षक (वेतन स्तर–06), सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया।	01
			(4) ईख पर्यवेक्षक (वेतन स्तर–06), सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर।	01
5	पौधा संरक्षक निरीक्षक (वेतन स्तर–06), कार्यालय– उप निदेशक, ईख विकास, पूसा,(समस्तीपुर)।	06	(1) ईख पर्यवेक्षक (वेतन स्तर–06), सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा।	01
			(2) ईख पर्यवेक्षक (वेतन स्तर–06), सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढी।	01
			(3) ईख पर्यवेक्षक (वेतन स्तर–06), सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी।	01
			(4) ईख पर्यवेक्षक (वेतन स्तर–06), सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान।	01
			(5) ईख पर्यवेक्षक (वेतन स्तर–06), सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर।	01
			(6) ईख पर्यवेक्षक (वेतन स्तर–06), सहायक निदेशक, ईख विकास, गया।	01
6	तकनीकी सहायक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।	02	(1) ईख पर्यवेक्षक (वेतन स्तर–06), सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर।	01
			(2) ईख पर्यवेक्षक (वेतन स्तर–06), सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना।	01
	कुल :–	19	**कुल :–**	**19**

4. उपर्युक्त पदों के सम्परिवर्तित होने के उपरांत ईख पर्यवेक्षक के कुल–21 पद हो जायेगें।

5. उपर्युक्त सम्परिवर्तन पदों के स्वीकृति पर स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत क्रमशः 19 पदों हेतु लेवल–6 (–) लेवल–6 (19X35,400X12=89,20,800) – (19 X35,400X12=89,20,400)= 0 (शून्य) रूपये यानि कुल 19 पदों हेतु कोई भी अतिरिक्त वार्षिक व्यय संभावित नहीं है ।
6. उपरोक्त पदों में स्वीकृति पर होने वाला व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म–लघुशीर्ष–108–वाणिज्यिक फसलें–मांग संख्या–45–उपशीर्ष–0002–ईख की खेती–विपत्र कोड–45–2401001080002 से विकलनीय होगा।
7. इस राशि की निकासी संबंधित कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा संबंधित कोषागार से की जाएगी।
8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।
9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(बी० कार्तिकेय धनजी)
सरकार के सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग।

ज्ञापांक–**01/स्था०राज०–320/2024–** 502, **/पटना, दिनांक** 02 ~~अप्रैल~~ मई, **2025**

प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग।